उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
संख्या : /XXXI(15)G/22-05(VIP)2016
देहरादून दिनांक 08 फरवरी, 2022

अधिसूचना

निगोशिएबल इन्सटूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या–26) की धारा–26 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या–20/25–56–पब–2 दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 403/सी.ई.ओ.–2–3/2–2022 दिनांक 29 जनवरी, 2022 द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2022 एवं 23 फरवरी, 2022 को उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध–सरकारी निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत उत्तर प्रदेश के मतदाता कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों, को मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

ऐसे मतदाताओं के नियंत्रक प्राधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव।

संख्या : 225 /XXXI(15)G/22-05(VIP)2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़ नई दिल्ली।
6. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना का समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार/प्रसार करने का कष्ट करें।
8. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को उत्तराखण्ड प्रदेश के आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए गजट की 20 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तराखण्ड, एन.आई.सी. सचिवालय, देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव।